

झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के
द्वारा निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित योजनाएँ

योजनाएँ :-

1. श्रमिक औजार सहायता योजना
2. साईकिल सहायता योजना
3. सिलाई मशीन सहायता योजना
4. मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति योजना
5. बाल श्रम शिक्षा प्रोत्साहन योजना
6. जनश्री बीमा/आम आदमी बीमा योजना
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
8. चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना
9. चिकित्सा सहायता योजना
10. अंत्येष्टि सहायता योजना
11. रोजगार प्रशिक्षण योजना
12. मातृत्व प्रसुविधा योजना
13. राष्ट्रीय पेंशन योजना
14. पेंशन योजना
15. पारिवारिक पेंशन योजना
16. अनाथ पेंशन
17. निःषक्तता पेंशन योजना
18. विवाह सहायता योजना

योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

1. आवेदक के द्वारा हस्ताक्षरयुक्त आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक के कार्यालय में आवेदन जमा किया जायेगा।
2. आवेदन में निबंधन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

स्वीकृति का अधिकार :-

1. पात्रता जाँच के उपरान्त स्थानीय श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक के द्वारा निबंधन पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन उप श्रमायुक्त को 15 दिनों में अग्रसारित किया जाएगा।
2. उप श्रमायुक्त 1 सप्ताह के अन्दर स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण कर योजना का लाभ लाभुक को दिलायेंगे।

अन्यान्य :-

1. योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।